न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
419/2025

दायर दिनांक
31.07.2025

निर्णय दिनांक
05.12.2025

उनवान

1. तोलीदास पुत्र श्री देबीदास निवासी रावली चौक रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

बनाम

1. दीपक बडगुंजर पुत्र श्री प्रहलादराय बडगुर्जर जाति खटीक, निवासी म.न. 15 जमनापुरी कॉलोनी, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर।
2. पूरणमल पुत्र श्री मांगी लाल रेगर निवासी– बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
3. रामसुख पुत्र श्री अमरा बलाई निवासी पुरानी कचहरी के पास, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा ।
4. रतन लाल पुत्र श्री राधेश्याम खटीक निवासी दादाबाडी, भीलवाडा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. देवी लाल पुत्र श्री रामलाल नायक निवासी– सुवाणा जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. नारायण पुत्र श्री नन्दराम बैरवा निवासी चमारो का खेड़ा, रूपाहेली जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. पारस देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण मेघवंशी निवासी बलाईयो का मौहल्ला, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. भैरू पुत्र श्री भाग्या बैरवा निवासी– चमारो का खेड़ा, रूपाहेली जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. रतन पुत्र श्री सत्यनारायण खटीक निवासी म.नं. 1 जी 14 तिलकनगर, भीलवाड़ा (राज०)
10. शम्भू लाल पुत्र श्री रामलाल नायक निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मुकेश कुमार भाण्ड उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं।**
3. **अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपहेली पटवार हल्का क्षैत्र रूपाहेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की, आराज संख्या 2427/2 रकबा 1.9347 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मैंनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम रूपहेली पटवार हल्का क्षैत्र रूपाहेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की, आराज संख्या 2427/2 रकबा 1.9347 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05-12-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा